नगर निगम, देहरादून

1. नीचे लिखे कार्य के लिए मोहरबन्द लिफाफे द्वारा भाव कर तिथि 07.02.2023 तक भेज देना चाहिए।
2. निविदादाता/फर्म को निम्न शेड्यूल के अनुसार ही अपनी दरें अंकित करनी होंगी।
3. निविदादाता/फर्म को कार्य का रक्षाधन रू0 50,000/– एफ0डी0आर/सी0डी0आर0 एवं अन्य समकक्ष रूप में निविदा डालने से पूर्व जमा करानी अनिवार्य होगी। बिना रक्षाधन के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. कार्य नियत समय पर ही समाप्त करना होगा।
5. कार्य स्थानीय विभाग (लोकल पी0डबलू0डी0) के मानकों के अनुसार पूर्ण करना होगा।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दर (धनराशि) प्रति कि0मी0 लम्बाई	अभ्युक्ति
1	नगर निगम देहरादून की सीमान्तर्गत सभी सड़कों/नालियों के मानचित्र जिसमें सड़कों की लम्बाई, चौड़ाई (प्रत्येक 25 मीटर लम्बाई में) नालियों को भी अंकित किया जाना है		

अधिशासी अभियन्ता,
नगर निगम, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

Scanned with CamScanner

निविदा की शर्ते :–

1. निविदादाता/फर्म को आयकर, जी0एस0टी0 में पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता/फर्म का MSME में पंजीकरण होने की दशा में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
3. निविदादाता/फर्म को इस प्रकृति के कार्य को सम्पादित करने का अनुभव होना आवश्यक है। इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता/फर्म का टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में रू0 10.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए।
5. निविदादाता/फर्म के पास सर्वेक्षण कार्य सम्पादन हेतु कुशल एवं दक्ष योग्यता प्राप्त अभियन्ता/ सर्वेयर/ड्राफ्टमैन होने आवश्यक हैं, जिनके प्राविधिक शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
6. सर्वेक्षण कार्य में सड़क के प्लान को सुस्पष्ट तैयार कर प्रत्येक 25 मीटर के अंतराल पर सड़क की चौड़ाई को इंगित करनी होगी।
7. सड़क के प्लान के दोनों ओर नालियों की स्थिति दर्शनी आवश्यक होगी तथा सड़क के दोनों ओर बनी मुख्य इमारतों Land Marks को भी इंगित होगा।
8. कार्य को निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण करना होगा। विलम्ब की दशा में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति–2017 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार विलम्ब शुल्क अदा करना होगा।
9. निविदादाता/फर्म द्वारा दी गई दरें प्रति इकाई दरे एक वर्ष तक प्रभावी होगी।
10. नगर निगम द्वारा समय–समय पर क्षेत्रवार आवश्यकतानुसार एवं वित्तीय स्थिति के अनुसार कार्यादेश निर्गत किये जायेंगे।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम के पास सुरक्षित होगा।
12. निविदा में सफल निविदादाता का भुगतान चरणबद्ध रूप में कार्य की प्रगति के अनुसार किया जायेगा। अंतिम भुगतान बिल प्रस्तुत करने से पूर्व फर्म को मानचित्रों की हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी निगम को जमा करनी होगा, जिसके परीक्षणोपरान्त ही अन्तिम भुगतान पर विचार किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

Scanned with CamScanner